न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0 प्र0)

(90)

निग0 3024-I/16

दीपक असाटी तनय मोहनलाल असाटी

साकिन ईशानगर छतरपुर जिला छतरपुर, म0प्र0 -- निगरानीकर्ता/आवेदक

।। विरूद्ध ।।

म0 प्र0 शासन -- उत्तरवादी/अनावेदक

प्रकरण क्रं0: प्रस्तुत दिनांक:

आवेदन पत्र अन्तर्गत निगरानी धारा-50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 :- ग्राम पंचायत ईशानगर द्वारा जारी ग्रामीण आवासीय पट्टा एवं रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 11/02/2011 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बावत :-

निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1) यह कि, निगरानीकर्ता द्वारा बेचवार श्रीमति गीता पत्नी मिजाजी लाल अग्रवाल साकिन ईशानगर द्वारा खसरा नंबर पुराना 2602 में से 1965/1 व रकवा 0.010 हे0 क्षेत्रफल 22 × 30 = 660 वर्गफुट रजिस्टर्ड बैनामा द्वारा क्रय किया गया था ।

2) यह कि, गीता अग्रवाल बेचवार पत्नी मिजाजी अग्रवाल को ग्राम पंचायत ईशानगर द्वारा दिनांक 16/06/1997 को पट्टा प्रदाय किया गया था । तत्कालीन समय में ग्राम पंचायत को अंदर आबदी का निवासी हेतु आवासीय पट्टा प्रदान करने का क्षेत्राधिकार था जो कि ग्राम पंचायत द्वारा गीता अग्रवाल को दिनांक 16/06/1997 को पट्टा प्रदाय किया गया था व गीता अग्रवाल उपरोक्त प्लाट पर काबिज थी । पट्टाधारी को अंदर आबादी को प्लाट को विक्रय करने का अधिकार था । अंदर आबादी आवासीय प्लाट को विक्रय करने की अनुमति शासन द्वारा नहीं ली जाती थी जिस आधार पर खरीददार/निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त प्लाट रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 11/02/2011 के माध्यम से क्रय किया गया था ।

3) यहकि, एक बार रजिस्टर्ड बैनामा से विक्रयशुदा प्लाट/जमीन क्रय की जाती है तो उपरोक्त बैनामा को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार है चूंकि आज दिनांक तक उपरोक्त

...2.

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3024–एक / 2016 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश दीपक विरूद्व शासन	पक्षकारों/अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर
5.9.16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित. अनावेदक की और से शासकीय पैनल अधिवक्ता उपस्थित. उभय पक्षो के अधिवक्ताओ के तर्क श्रवण किये गये. 2– यह निगरानी ग्राम पंचायत ईशानगर जिला–छतरपुर द्वारा जारी ग्रामीण आवासीय पटट्ा एवं रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 11–2–2011 के अनुसार राजस्व अभिलेखों में उक्त आदेश की प्रविष्टी न करने के कारण प्रस्तुत की गयी है. आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम पंचायत ईशानगर ने ईशानगर स्थित आबादी भूमि पुराना खसरा कमांक 1965/1 रकबा 0.010 है. 22×30 वर्गफीट आवासीय पटट्ा ग्राम पंचायत ईशानगर द्वारा 16–06–1997 को गीता अग्रवाल को प्रदान किया गया, आवेदक ने दिनांक 11–02–2011 को उक्त भूमि पटट्ाधारी से पंजीकृत विकयपत्र के जर्ये कय की उक्त भूमि को कय करने हेतु शासन की अनुमति की आवश्यकता नही थी. आवेदक ने कय करने के उपरान्त से	

भूमि पर मकान निर्मित कर अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है. आवेदक द्वारा कई बार राजस्व अभिलेखों में आदेश की प्रविष्टि तथा तदनुसार अपने नाम को अकित कराने का प्रयास किया किन्तु अभी तक अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही नही की गयी है. अतः उन्हे निर्देशित किया जाये.

3– उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को एवं प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया. अभिलेख के अवलोकन से यह पाता हूँ किप्रकरण में विवादित भूखण्ड का पटटा गीता अग्रवाल के हित में ग्राम पंचायत ईशानगर द्वारा 16–06–1997 को आवासीय पटट्ा प्रदान किया गया था. उक्त भूखण्ड को आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के जर्ये क्रय किया है तथा उसके द्वारा विधिवत अपने नाम की प्रविष्टि कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उसका नाम प्रविष्टि नहीं किया जा रहा है. आवेदक लगातार आदेश के अमल हेतु भटक रहा है. जो कि न्यायोचित नही है. आवेदक एक सदभाविक केता है. छोटे–छोटे आवासीय भूखण्डो जो कि पटट्े पर प्रदान किये गये है उनके क्रय विक्रय हेतु अनुमति की आवश्यकता नही है. राजस्व कर्मचारियों का दायित्व है कि वे राजस्व अभिलेखों को अद्धतन रखे. तथा तदनुसार राजस्व अभिलेख

का संघारण करें. उपरोक्त स्थित में यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आवेदक के नाम की प्रविष्टि विक्रय पत्र दिनांक 11–02–2011 के अनुसार राजस्व अभिलेखों में आदेश प्राप्ती के दिनांक से 1 माह में आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करे. प्रकरण इस निर्देशों के साथ समाप्त किया जाता है.

सदस्य